परिशिष्ट–दो

प्रपत्र– 2(क)

E-mail deo-chp-edu-uk@nic.in दूरभाष/फैक्स– 05965–230614 05965–230531

पत्रांकः– 818-37 /शि०का०अ०/मान्यता /2023–24 दिनांक 01 जून 2023,

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक
मल्लिकार्जुन स्कूल लोहाघाट (कक्षा 01–08) अग्रेजी माध्यम
जनपद–चम्पावत।

विषयः– **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 (2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधित) नियमावली 2013 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र निर्गत करने विषयक।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 23–03–2023 के द्वारा आपके विद्यालय **मल्लिकार्जुन स्कूल लोहाघाट** (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा –19 (2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। जनपद चम्पावत में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या UPS/43 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम–18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

नोट–प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2028 तक विधिमान्य होगा।

भवदीय,

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
चम्पावत।

पृ0सं0/818-37 /शि0का0अ0/मान्यता /2023–24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत।
2. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास चम्पावत।
6. संबंधित खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी जनपद चम्पावत।
7. कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ अशोक कुमार गुसाई)
जिला शिक्षा अधिकारी,(प्रा0शि0)
चम्पावत।

कार्यालय – जिला शिक्षा अधिकारी चम्पावत

पत्रांक :– 818-37 / शि0का0अ0 / मान्यता / 2023–24 दिनांक 01 जून 2023

प्रबंधक / व्यवस्थापक
मल्लिकार्जुन स्कूल लोहाघाट
जनपद – चम्पावत

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 (2) के प्रयोजनार्थ के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संसोधित) नियमावली 2013 के नियम 17 (क) के अंतर्गत अधिनियम की अनुसुची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महोदय / महोदया

आपके तारीख **23–03–2023** के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं मल्लिकार्जुन स्कूल लोहाघाट को तारीख **01–06–2023** से तारीख **31–03–2028** तक पांच वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अंनतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपयुक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मजुंरी विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 (2) एवं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संसोधित) नियमावली 2013 के नियम 17 (क) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समुह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पुरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपुरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् खाता रखेगा ।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता य संरक्षण को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया क अध्यधीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चत करेगा ।

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा :

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मासिक उंत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा :

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बार्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण – पत्र प्रदान किया जाएगा :

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना :

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती हैं। पंरतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम आर्हताएं अर्जित करेंगें :

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) क अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता हैं : और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों के नियोजित नहीं करेंगें।

7.. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पाठ्यकम का पालन करेगा ।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधांए निम्नानुसार हैं

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

कीड़ा – स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक – सह कार्यालय –सह भांडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड–डे मील पकाने की रसोई

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री /कीड़ा खेलकुद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी ।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा – स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता हैं ।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860, (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकित किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रर्वत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं ।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा हैं ।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकांउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्या **UPS/43** हैं। कपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय मे साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें ।

15. विद्यालय ऐसी रिपोटें और सूचना प्रस्तुत करता हैं, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता हैं, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं ।

16. सोसाइटी क रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को, सुनिश्चित किया जाए।

17. सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(आर0सी0पुरोहित)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
चम्पावत।

(डॉ अशोक कुमार गुसाई)
जिला शिक्षा अधिकारी,(प्रा0शि0)
चम्पावत।